भारतीय कृषि के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिश को शिकस्त

रवींद्र गोयल

भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापिस लेने को बाध्य कर दिया। ये किसानों की जीत न केवल दुनियाके पैमाने पर अनोखी जीत है बल्कि तय है की यह जीत दुनिया भर में पिछले तीस/ चालीस सालों से हावी दिवालिया नवउदारवादी अर्थशास्त्र और टपक बूँद सिद्धांत के कफन में एक महत्वपूर्ण कील साबित होगा।

बेशक नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध दुनिया, खास कर लैटिन अमरीका, के लोग बहादुराना संघर्ष लड़े हैं लेकिन वो ज्यादातर प्रयास चुनावों में साम्राज्यवाद परस्त सरकारों को हराने की दिशा में रहे हैं। ज्यादातर आंदोलनों ने सरकारों को बदलने में अपनी ताकत लगायी है। इन संघर्षों में जनता ने आम तौर पर लंबे समय तक हड़ताल या घेराव जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से अपनी मांगों को नहीं मनवाया। इससे अलग भारतीय किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिये नव-उदारवादी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार को पीछे हटने को मजबूर किया। यह जीत नयी पहलकदमियां खोलेगी, नए आन्दोलनों को जनम देगी और दूरगामी तौर पर दुनिया के पैमाने पर नवउदारवादी नीतियों की जकड़ ढीला करने का कारक बनेगी। इन्हीं अर्थों में किसान संघर्ष और उसकी जीत का ऐतिहासिक महत्व भी है।

इस आन्दोलन के दौरान भारतीय कृषि पर अधिपत्य स्थापित करने के अम्बानी अडानी जैसे एकाधिकारी कॉरपोरेट पूंजीपति के व्यापक मंसूबों, उनकी हितैषी मोदी सरकार के जनविरोधी चरित्र और कलमघिस्सू बुद्धिजीवी तथा बिके हुए गोदी मीडिया का पर्दाफाश खूब जमकर हुआ और भगतों को छोड़ दिया जाये तो आम जन की चेतना में भी गुणात्मक विकास हुआ। इन सबसे इतर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। वो पहलू है किसानों कि जीत का अमरीकी नेतृत्व में साम्राज्यवादी दुनिया के वैश्विक वर्चस्व की योजनाओं को एक बहुत ही मौलिक अर्थ में झटका। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पश्चिमी मीडिया मोदी सरकार के कानून वापिस लेने के निर्णय से नाखुश है और आलोचना कर रही है।

साम्राज्यवादी देश दुनिया के सभी खाद्य पदार्थ, कच्चामाल के स्त्रोत, पेट्रोलियम के स्त्रोत आदि की तरह तीसरी दुनिया के देशों की कृषि लायक भूमि पर सम्पूर्ण वर्चस्व चाहते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से उस भूमि का इस्तेमाल कर सकें और अपने शोषण तंत्र को कायम रख सकें, उसका विस्तार कर सकें। इस में यह ध्यान देने योग्य है की तीसरी दुनिया के देशों की जमीनी विविधताऔर मौसम सम्बन्धी खासियत वहां की भूमि को कई किस्म की फसल पैदा करने के उपयुक्त बनती है। ऐसा साम्राज्यवादी देशों में संभव नहीं है।

उपनिवेशवाद का जमाना इस हिसाब से साम्राज्यवादियों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद था। उन्होंने उपनिवेशों के जमीन पर कब्जा कर उसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने के लिए नीतियां बनाई। नील, अफीम और कपास उन जमीनों पर जबरदस्ती उगवाया गया जिस पर पहले खाद्यान्न पैदा होता था। किसानों के बेतहाशा शोषण उस समय का यथार्थ था। दीनबंधु मित्रा द्वारा उन्नीसवीं सदी के बंगाली नाटक 'नील दर्पण' में नील उत्पादकों की दुर्दशा इतने मार्मिक तरीके से बयान की गयी थी कि नाटक देखते समय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील के खेती कराने वाले व्यापारी की भूमिका निभा रहे अभिनेता पर गुस्से में अपनी सैंडल फेंक दी थी!

लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद चली उपनिवेशवाद विरोधी लहर में ज्यादातर उपनिवेश खत्म हो गए। तीसरी दुनिया के देशों में राजनितिक आजादी के साथ जो सत्ताएं शासन में आई वो ज्यादातर पूंजीवादी होते हुए भी अपनी राजनितिक स्वंत्रता के प्रति सचेत थी और उन्होंने नग्न पूंजीवाद को आवारा होने से रोका। उसपर लगाम लगायी। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था कृषि में, खासकर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए, एक हद तक कीमत का समर्थन ताकि बहुसंख्यक किसानों के दरिद्रीकरण को रोक कर कृषि क्षेत्र की जमीन और उस पर क्या उत्पदन किया जायेगा सम्बन्धी सवालों को बाजार यानी पूंजीवादी, साम्राज्यवादी प्रभुत्व में जाने से रोका जा सके।

साम्राज्यवाद और उसके देसी भाई बंदों को ये नीति पसंद नहीं थी। वो तो चाहते थे कृषि भूमि और उसपर क्या उगाया जायेगा के निर्णय करने कि ताकत लेकिन सरकारी नीतियों के चलते उनकी पसंदीदा नीति को लागू करने का मंसूबा नाकामयाब रहा।

1990 में नवउदारवादी चिंतन के प्रभावी होने के बाद साम्राज्यवाद और उसके देसी भाई बंदों को ऐसा शासन मिला जो उनकी मांग को पूरा कर सकता था। साम्राज्यवाद चाहता था मूल्य-समर्थन की प्रणाली का पूर्ण उन्मूलन, और इसके अतिरिक्त, किसानों के फसल उगाने के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बाजार द्वारा संचालित एक वैकल्पिक तंत्र।

मोदी सरकार द्वारा लाये गए तीनों कृषि कानून अपने अति राष्ट्रवादी शब्दाडम्बर के बावजूद यही काम करता था। इन कानूनों के जरिये खेती का निगमीकरण होता जिसके ऊपर साम्राज्यवादियों और उसके देसी दोस्तों का वर्चस्व स्थापित होता और वो किसानों से अपनी बाजार की सुविधा के हिसाब से खेती करवाते. यहाँ बता दें की इस मानवद्रोही सरकार/देसी पूंजीपति/ साम्राज्यवादी गिरोह का पहला हमला 90 के दशक में भूमि अधिग्रहण के सवाल पर हुआ था। आदिवासियों और अन्य आबादी के तीव्र विरोध के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अपना भूमि कब्जों अभियान रोकना पड़ा। 2013 में 1894 भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ सुधार करके उसे थोडा सख्त बनाया गया। मोदी सरकार ने 2014 में सरकार में आते ही उस कानून पर हमला किया। लेकिन जनता खासकर किसानों के तीव्र विरोध के चलते केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा।

और अब किसानों ने अपने आन्दोलन के जरिये एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है और सरकार को बाध्य किया है कि वो अपनी नापाक गतिविधियों के जरिये इस देश के खेती को साम्राज्यवाद और पूंजीपतियों को न सौंपे। बेशक MSP की कानूनी गारंटी बिना ये लड़ाई अधूरी है और जब तक ये पूँजी परस्त निगाम नहीं नेस्तनाबूद किया जायेगा तब तक खेती और किसान को देसी विदेशी पूँजी का गुलाम बनाने का अंदेशा बना रहेगा। लेकिन फिर भी तीन काले कानूनों के खिलाफ किसानों की जीत एक महत्वपूर्ण जीत है।

फरीदाबाद में तैनात रहे संजीव कौशल बने हरियाणा के मुख्य सचिव

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दिनांक 30 नवम्बर को मुख्यसचिव विजयवर्धन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1986 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कौशल ने पहली दिसम्बर को यह पदभार सम्भाल लिया। वैसे तो विजयवर्धन का भी बतौर उपायुक्त फ़रीदाबाद से कुछ नाता रहा है परन्तु संजीव कौशल जैसा नहीं। कौशल यहां बतौर अतिरिक्त उपायुक्त तैनात हुए थे और बाद में शहर के मुख्य प्रशासक (जिसे आज कल निगमायुक्त कहते हैं) तैनात हुए थे। वे लगभग ढाई साल इस शहर में रहे। उनकी छवि एक ईमानदार व कार्यकुशल अधिकारी की तो थी ही, साथ में एक मिलनसार व्यक्तित्व की भी थी।

यहां से जाने के बाद वे जहां-जहां भी तैनात रहे, इनकी छवि राज्य के बेहतरीन अफ़सरों में ही गिनी गई है। फ़रीदाबाद के नागरिकों से उनका विशेष स्नेह सदैव बना रहा है। यहां जब ईएसआई मेडिकल कॉलेज चालू होने में कुछ अड़चने राज्य की अफ़सरशाही की ओर से आने लगी थी तो '**मज़दूर मोर्चा**' ने इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करके समस्या का समाधान करवाया था।

'**मज़दूर मोर्चा**' अब उनका ध्यान ईएसआई हेल्थ केयर की ओर आकृष्ट करके व्यवस्था में उपयुक्त सुधार की कामना करता है। वैसे तो इस विषय पर

उनसे उस वक्त भी बात-चीत हुई थी जब वे राज्य के वित्त सचिव थे। लेकिन आज वे राज्य की अफ़सरशाही के प्रमुख होने के नाते इस दिशा में काफ़ी कुछ कर सकने में सक्षम समझे जाते हैं।

विदित है कि फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज व गुरगांव के दो अस्पतालों, जिन्हें ईएसआई कार्पोरेशन सीधे तौर पर खुद चलाती है, को छोड़कर शेष तमाम अस्पताल व डिस्पेंसरियां राज्य के ईएसआई हेल्थ केयर निदेशालय द्वारा चलाये जाते हैं। इस निदेशालय द्वारा चलाये जाने वाली सेवाओं का 88 प्रतिशत खर्चा कार्पोरेशन तथा शेष 12 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार अपने हिस्से का 12 प्रतिशत खर्च बचाने के लालच में कुल बजट 200 करोड़ तक ही सीमित रखती है जबकि मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं देने के लिये कम से कम 1200 करोड़ का बजट बनना चाहिये। जाहिर है कि अपर्याप्त बजट बनाने के चलते आज हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जा रहे इन अस्पतालों की दुर्दशा देखने लायक है, न तो वहां पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ है और न ही आवश्यक दवायें व उपकरण। शल्य चिकित्सा, एक्सरे, अल्ट्रासाऊंड जैसी सुविधायें तो छोड़िये, कुत्ता काटे के इन्जेक्शन, शुगर व रक्तचाप वाली साधारण दवायें तक इनमें उपलब्ध नहीं हैं। इन हालात में हरियाणा सरकार ईएसआई हेल्थ केयर के लिये या तो कम से कम 1200 करोड़ का बजट बना कर 150 करोड़ अपनी ओर से डाले या इस निदेशालय को बंद करके पूरा काम ईएसआई कार्पोरेशन को सौंप दें। दूसरी स्थिति में हरियाणा सरकार का न तो कोई दायित्व रह जायेगा और न ही कोई खर्चा, यानी पूरा दायित्व एवं खर्चा ईएसआई कार्पोरेशन का होगा। ईएसआई कार्पोरेशन इस के लिये तैयार भी है तो हरियाणा सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस गोरख धंधे से निजात पा लेनी चाहिये। यदि ऐसा हो जाये तो राज्य के मज़दूरों को बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी।

बिजली के नाम पर 10 सालों से जनता के 200 करोड़ दबाए बैठा बीपीटीपी, न्याय तो नहीं मिलेगा पर क्या कोर्ट बिजली दिला सकेगा ?

विवेक कुमार

फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद में बसे लोगों को लाखों रुपये के फ्लैट बेचने के बाद भी बिजली आपूर्ति की ठीक सुविधा तक नहीं दी गई। इस मामले में कोर्ट का फैसला बीते 29 दिसंबर को आया जिसमे बिल्डर बीपीटीपी और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश जारी करते हुए अदालत ने देर से ही सही पर एक राहत की किरण ग्रेटर फरीदाबाद के निवासियों को दिखाई है।

सेव फरीदाबाद की ओर से मेगपाई रिसॉर्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद भारद्वाज और वकील उमेश प्रभाकर ने बताया कि बीपीटीपी ने वर्ष 2011-12 में नहर पार बनाई अपनी टाऊनशिप्स में अलाटी? को बिजली मुहैया करवाने के नाम पर 775 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से लगभग 22 लाख 86 हजार वर्ग गज के 200 करो? रुपये उगाह लिए। पैसे लेने के बावजूद बीपीटीपी ने आजतक वो पैसे दक्षिण हरियाणा वितरण निगम में न जमा करवाए और न ही निगम ने खुद से कोई जहमत उठाई।

हाँ, अंदरखाने ग्लास चटकाने वाले ये दोनों बैल जनता को दिखाने के लिए बाहर मैदान में नूराकुश्ती करते रहे। न्यायपालिका ने बीपीटीपी को आदेश देते हुए कहा है कि उसने जनता से कितने पैसे इकट्ठे किये हैं यह सूचना वह डीएचबीवीएन को एक माह के भीतर देगा, वहीं बिजली विभाग 15 दिन में बीपीटीपी को यह बताएगा कि नहर पार सेक्टर 15-89 में कितने लोड की आवश्यकता है। 45 दिन में बीपीटीपी उपभोक्ताओं से लिया गया पैसा बिजली विभाग को जमा करवाएगा। इसके बाद ही बिजली विभाग अलौटी? को सीधे बिजली दे सकेगा। जब तक यह आधारभूत संरचना बिजली विभाग या आरडब्लूए को सौंपी जाएगी तब तक बीपीटीपी या कंट्रीवाइड प्रोमोटर प्राइवेट लिमिटेड ही बिजली के बिल बनाएगा। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि बीपीएमसी जो एक मैनटेनेंस कंपनी है अब बिजली के बिल नहीं ले सकेगा।

सेव फरीदाबाद जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर जो कि अब राज्य ऊर्जा मंत्री भी हैं ने इस मामले में उनसे मिलने के बाद भी कभी कोई जवाब नहीं दिया जबकि मंत्री जी उसी इलाके में अपनी पाम सिटी के फ्लैट बेच रहे हैं। यदि उपभोक्ता और नागरिक अधिकारों की बात करें तो देश में क्या वाकई ऐसे अधिकार हैं या इन अधिकारों की रक्षा क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की जा रही है। एक ऐसा

मामला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है वहाँ एक बिल्डर 200 करोड़ की रकम जनता से लेकर सरकार को देता ही नहीं और उसपर सरकार चूँ तक नहीं करती। इतना ही नहीं 10 वर्षों से अपनी जमापूँजी लगा कर सुकून का जीवन जीने की आस में बैठे आम आदमी को न बिजली मिली, न सीवर न पानी न सड़क और तो और ग्रेटर नोएडा के इलाके में व्याप्त अंधेरे ने अपराधों की संख्या में में भी खूब इजाफा किया है। 10 घंटे से लेकर कई दिनों के पावर कट में मोमबत्तियों से लेकर दिल तक जला कर प्रदर्शन करने वाले इन नागरिकों और उपभोक्ताओं के हिस्से लाखों रुपये देकर आया क्या, बस एक मुकद्दमा?

ऐसे में क्या कोई कोर्ट बताएगी कि जब बिजली न होने की सूरत में इनसे 21-22 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेटर से बिजली देने का चार्ज वसूला गया तो क्या इस ज्यादती का हिसाब भी कभी किया जाएगा? 10 साल से अपने पैसे एक संपत्ति में लगाने के बाद बिजली जैसी मूलभूत सुविधा न होने से प्रॉपर्टी की कीमत के न बढ़ने का नुकसान भी कोई सरकार या बिल्डर इन लोगों को देगी? जवाब है, नहीं। फिलहाल ये बेचारे नागरिक अपने लिए सिर्फ और सिर्फ बिजली की मांग पूरी होने को ही दूर की कौड़ी समझते हैं जिसका कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी मिल पान टेड़ी खीर ही है।